प्रकरण संख्या 06/2022 हेमसिंह व अन्य बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 15019 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम बालातों की गुंआर, तहसील भीम में में स्थित है, जिस पर वादीगण का कब्जा पीढ़ियों से चला आ रहा है। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष मोतीसिंह के पुत्र खेतसिंह हुए एवं खेतसिंह के वारिस वादीगण हैं। आराजी नंबर 15019 के साबिक आराजी नंबर 11987 थे, जो ग्राम मंडला 1350 फसली की खेवट संख्या 1507 में शामलात देह दर्ज होकर जमाबन्दी में खसरा नंबर 11987 रकबा 28 बीघा साढ़े 3 बिस्वा दर्ज है, जिसके नये नंबर 15019 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा बने, जो सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वादीगण का कब्जा होने के बावजूद बिलानाम दर्ज कर दी। प्रतिवादी तहसीलदार बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 15019 रकबा 2 बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.2021 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट संख्या 2 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि उक्त दोनों अपीलान्ट वादी/अपीलान्ट संख्या 1 की बहनें होने से वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया। अपीलान्ट संख्या 2 व 3 वादी/अपीलान्ट संख्या 1 की बहने होकर खेतसिंह की पुत्रियां हैं, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में वादी ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। अतः न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट संख्या 2 व 3 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी नंबर 15019 रकबा 2 बीघा पर अपीलान्टगण का कब्जा राजस्थान काश्तकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:16 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम लागू होने के पूर्व से अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 की कलम संख्या 24 में खेता वल्द मोती का आधिपत्य होकर 2 बीघा पर काश्त किये जाने का अंकन है एवं 1350 फसली के खेवट खतौनी में रूपा नबरदार का नाम अंकित है, किन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान बिना किसी आदेश के पुराने इन्द्राज को विलोपित कर बिलानाम दर्ज कर दिया गया है, जिसका अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान की सहमति के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्टगण को आराजी नंबर 15019 रकबा 2 बीघा का खातेदार घोषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि विवादित आराजी कभी भी अपीलान्ट/वादीगण अथवा उनके पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं रही है, बल्कि शुरू से ही भूमि बिलानाम दर्ज रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। खसरा गिरदावरी संवत् 2015, 2016, 2017 व 2018 की कोलम संख्या 24 में अपीलान्टगण के पिता खेता वल्द मोती का नाम अंकित है। इसके अलावा भी अन्य कई दस्तावेजों से विवादित आराजी पर अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी का नाम दर्ज होकर कब्जा होने के प्रमाण हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी सहमति के एवं अपीलान्ट/वादीगण को बिना सुने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 92/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री 26.11.2021 अपास्त किया जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:16 IST
Reason: SelfAttested

(...पसिंह सांगावत)
... अधिकारी
एवं ... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर